फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

इन्दर लाल विपक्षी ओंकिशन

नाम मुकदमा वाद पत्रावली संख्या 15 8/2020 सन्

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई
	23/3/22 पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उपस्थित अन्य कोई भी पक्षकार उपस्थित नही हुआ। प्रकरण में तामील शेष है। वादी अधिवक्ता को प्रोसेस पेश करने हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते तामिल दिनांक 17/05/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	17/5/22 पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित नही हुए न ही वादी स्वयं उपस्थित हुआ। वादी अधिवक्ता पूर्व दिनांक 23/03/2022 को भी उपस्थित नही हुए है। न्यायालय द्वारा रुक-रुक कर तीन बार आवाज लगवाई गई। बावजूद न ही कोई उपस्थित हुआ न ही न्यायालय समय समाप्ति तक कोई उपस्थित नही हुआ। प्रकरण लम्बे समय से तामिल में है। जिससे जाहिर होता है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नही न ही अपना वाद चलाना चाहता है। अतः वादी का वाद अदम हाजरी- अदम पैरवी में आदेश 9 नियम 8 के तहत खारिज किया जाता है। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) (सलोनी खेमका) IAS उप खण्ड अधिकारी गिर्वा, जिला–उदयपुर (राज.)	

उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर (राजस्थान)